प्रारंभिक परीक्षा

जापान की शस्त्र निर्यात नीति में परिवर्तन

संदर्भ

- उभरते क्षेत्रीय खतरों और वैश्विक सुरक्षा मांगों के बीच जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध को हटा दिया है।

नीति में बदलाव

- **निर्यात प्रतिबंधों की समाप्ति:** जापान युद्धपोत, मिसाइल और लड़ाकू विमान जैसे उन्नत हथियारों की बिक्री की अनुमति दे रहा है (पहले यह केवल बचाव, परिवहन, निगरानी जैसी गैर-घातक श्रेणियों तक सीमित था)।
- **शांतिवाद से सक्रिय सुरक्षा की ओर:** जापान एक अधिक सक्रिय रक्षा मुद्रा की ओर बढ़ रहा है, जो निवारण (deterrence) पर केंद्रित है (पहले शांतिवादी संविधान के तहत न्यूनतम सैन्य भूमिका पर जोर था)।
- **मामला-दर-मामला अनुमोदन प्रणाली:** व्यापक प्रतिबंधों के स्थान पर, अब निर्यात का मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा (पहले कठोर श्रेणीबद्ध प्रतिबंध थे)।
- **साझेदार आधार:** गठबंधनों को मजबूत करने के लिए चुनिंदा भागीदार देशों (रक्षा समझौतों वाले ≈17 राष्ट्र) को शस्त्र निर्यात की अनुमति दी गई है (पहले अत्यधिक प्रतिबंधित हस्तांतरण था)।
- **सुरक्षा उपायों को बरकरार रखना:** जापान संघर्ष क्षेत्रों में निर्यात न करने और उपयोग की निगरानी जैसे कड़े नियंत्रण जारी रखेगा, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपवादों की अनुमति दी जा सकती है (पहले सख्त गैर-परक्राम्य प्रतिबंध थे)।

इस बदलाव के निहितार्थ

- **रक्षा उद्योग को सुदृढ़ करना:** उत्पादन के पैमाने को बढ़ाकर और लागत कम करके घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है (जैसे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को निर्यात बाजार प्राप्त होना)।
- **उन्नत रणनीतिक साझेदारी**: अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे सहयोगियों के साथ सैन्य सहयोग को गहरा करता है, जो सामूहिक सुरक्षा में योगदान देता है।
- **क्षेत्रीय निवारण:** इसका उद्देश्य चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों का मुकाबला करना और भारत-प्रशांत सुरक्षा संतुलन को बढ़ाना है।
- **भू-राजनीतिक महत्व**: यह वैश्विक मामलों में जापान की अधिक मुखर सुरक्षा भूमिका और अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर कम निर्भरता को दर्शाता है।
- **आर्थिक अवसर:** रक्षा निर्यात के लिए नए बाजार खोलता है, जिससे जापान द्वारा लक्षित 17 रणनीतिक क्षेत्रों में से एक में विकास होता है।

चिंताएं और आलोचना:

- घरेलू स्तर पर और चीन से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, **पुनर्सैन्यीकरण और शांतिवादी संविधान के उल्लंघन की आशंका के साथ**, संभावित रूप से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है।

परिधीय न्यूरोपैथी (PERIPHERAL NEUROPATHY) में नई आनुवंशिक अंतर्दृष्टि

संदर्भ

- नए शोध से पता चलता है कि केवल कुछ जीन उत्परिवर्तन ही परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बनते हैं, जो उपचार के नए मार्ग प्रदान करते हैं।

परिधीय न्यूरोपैथी के बारे में

- **परिधीय** न्यूरोपैथी एक आनुवंशिक विकार है जो परिधीय नसों को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, सनसनी और संरचनात्मक विकृति (जैसे उच्च मेहराब, मुड़े हुए पैर की उंगलियां) होती हैं।
- **आनुवंशिक कारण:** एआरएस जीन सहित 100+ जीनों में उत्परिवर्तन प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करते हैं, जिससे तंत्रिका कार्य प्रभावित होता है।
- **दो जीन प्रतियां (माता-पिता की वंशानुक्रम):** प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जीन की दो प्रतियां विरासत में मिलती हैं (एक मां से और एक पिता से), और इन दो प्रतियों के बीच की बातचीत यह निर्धारित करती है कि बीमारी विकसित होती है या नहीं। उदाहरणस्वरूप।
    - **सामान्य + सामान्य:** माता-पिता के जीन दोनों कार्यात्मक ⟶ उचित प्रोटीन उत्पादन की प्रतियां बनाते हैं ⟶ कोई बीमारी नहीं होती है
    - **सामान्य + शून्य उत्परिवर्तन:** एक जीन निष्क्रिय लेकिन अन्य कार्यात्मक ⟶ पर्याप्त प्रोटीन का उत्पादन होता है ⟶ आमतौर पर कोई बीमारी नहीं होती है
    - **सामान्य + प्रमुख-नकारात्मक उत्परिवर्तन:** एक माता-पिता से दोषपूर्ण जीन हानिकारक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो सामान्य जीन के साथ हस्तक्षेप करता है ⟶ रोग के कार्य में गंभीर कमी होती है ⟶
- **प्रमुख-नकारात्मक प्रभाव:** उत्परिवर्ती प्रोटीन न केवल काम करने में विफल रहता है बल्कि स्वस्थ प्रोटीन को अवरुद्ध करता है (दोषपूर्ण जोड़ी/डिमर बनाता है) जिससे स्थिति खराब हो जाती है।
- **नसें कमजोर क्यों होती हैं:** लंबी परिधीय नसों को लंबी दूरी पर निरंतर प्रोटीन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए मामूली व्यवधान भी शिथिलता की ओर जाता है।

प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया

- **प्रतिलेखन (Transcription):** प्रोटीन निर्माण के लिए आनुवंशिक निर्देश ले जाने वाले mRNA में DNA की नकल की जाती है।
- **अनुवाद (Translation):** अमीनो एसिड को सही क्रम में प्रोटीन में जोड़ने के लिए राइबोसोम द्वारा mRNA को पढ़ा जाता है।
- **tRNA की भूमिका:** tRNA विशिष्ट अमीनो एसिड प्रदान करता है और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कोडन-एंटीकोडन जोड़े का मिलान करता है।
- **परिधीय न्यूरोपैथी में क्या होता है**: दोषपूर्ण ARS प्रोटीन अमीनो एसिड के साथ tRNA को ठीक से जोड़ने में विफल रहते हैं, जिससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आपूर्ति कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप तंत्रिका कोशिकाओं में दोषपूर्ण या अपर्याप्त प्रोटीन उत्पादन होता है, जो अंततः तंत्रिका अध: पतन (degeneration) का कारण बनता है।

यह अध्ययन उपचार में कैसे मदद करता है

- **उत्परिवर्ती जीन उत्पादों को लक्षित करना:** उत्परिवर्ती mRNA या प्रोटीन को अवरुद्ध करना स्वस्थ प्रोटीन के साथ हस्तक्षेप को रोक सकता है, जिससे कार्यक्षमता बहाल हो सकती है।
- **प्रिसिजन मेडिसिन दृष्टिकोण**: सामान्य उपचारों के बजाय उत्परिवर्तन-विशिष्ट उपचारों के विकास को सक्षम बनाता है।
- **प्रायोगिक मॉडल:** यीस्ट (Yeast) मॉडल उत्परिवर्तनों के परीक्षण और दवाओं की कुशलतापूर्वक स्क्रीनिंग में मदद करते हैं।
- **रोग की बेहतर समझ:** यह स्पष्ट करता है कि केवल कुछ उत्परिवर्तन ही बीमारी का कारण क्यों बनते हैं, जिससे लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करने में मदद मिलती है।

क्या अमेरिका द्वारा ईरानी जहाज को जब्त करना कानूनी था?

संदर्भ

- अमेरिकी द्वारा ईरानी जहाज (टौस्का) को जब्त करने की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थिति को शांतिकाल (युद्धविराम) या युद्धकाल (चल रहा सशस्त्र संघर्ष) के रूप में देखा जाए, क्योंकि दोनों ही मामलों में अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती हैं।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी:

- **अमेरिकी रुख (युद्धकालीन व्याख्या):** संयुक्त राज्य अमेरिका का तर्क है कि ईरान के साथ संघर्ष एक सक्रिय सशस्त्र संघर्ष बना हुआ है क्योंकि युद्धविराम केवल एक अस्थायी विराम है; इसलिए, नौसैनिक नाकाबंदी और जहाजों की जब्ती जैसी कार्रवाइयां उचित हैं (सशस्त्र संघर्ष कानून (LOAC) के तहत)।
- **ईरान का रुख (शांतिपूर्ण व्याख्या):** ईरान का तर्क है कि युद्धविराम एक शांति काल की स्थिति है, जो नाकाबंदी और जहाज की जब्ती जैसी अमेरिकी कार्रवाइयों को "समुद्री डकैती" या युद्धविराम का उल्लंघन बनाती है।

अंतरराष्ट्रीय कानून ढांचा (शांति काल बनाम युद्ध काल)

स्थिति	कानूनी ढांचा / सिद्धांत	विवरण
शांति काल	**UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982)**	उच्च समुद्रों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और बल के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, जिसका अर्थ है कि विदेशी नौसेनाएं एकतरफा प्रतिबंध लागू करने के लिए जहाजों पर नहीं चढ़ सकतीं या उन्हें जब्त नहीं कर सकतीं, जिससे ऐसी कार्रवाइयां समुद्री कानून का उल्लंघन बन जाती हैं।
	संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अनुच्छेद 2(4))	किसी भी राज्य के विरुद्ध बल की धमकी या उपयोग को प्रतिबंधित करता है, केवल आत्मरक्षा में या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के साथ अपवादों की अनुमति देता है, इस प्रकार एकतरफा सैन्य कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है।
युद्ध काल	**सैन रेमो मैनुअल (1994 नौसेना युद्ध नियम)**	मैनुअल के पैराग्राफ 118 और 135 'युद्धरत' युद्धपोतों को व्यापारिक जहाजों के निरीक्षण और तलाशी का अधिकार देते हैं और दुश्मन के झंडे वाले जहाजों को पकड़ने के प्रावधान प्रदान करते हैं।
	प्राइज़ लॉ (Prize Law)	दुश्मन के जहाजों और कार्गो को पकड़ने और उनके कानूनी अधिनिर्णय की अनुमति देता है, जिससे युद्ध के दौरान अदालतों के माध्यम से स्वामित्व के हस्तांतरण को सक्षम किया जाता है। हालाँकि आज इसका उपयोग कम ही होता है।
	अमेरिकी नौसैनिक सिद्धांत (कमांडर हैंडबुक)	तटस्थ जल के परे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने और पकड़ने की अनुमति देता है, और यदि कोई जहाज विरोध करता है या चेतावनियों की अनदेखी करता है, तो उसे वैध सैन्य लक्ष्य माना जा सकता है।
	जिनेवा कन्वेंशन सिद्धांत	आनुपातिकता और एहतियात को अनिवार्य करता है, जिसमें नागरिक क्षति को कम करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि सैन्य कार्रवाई आवश्यक है और अत्यधिक नहीं है।

आगे की राह

- **संघर्ष की स्थिति स्पष्ट करना:** यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कि स्थितियां युद्धविराम की हैं या सक्रिय संघर्ष की, क्योंकि कानूनी अस्पष्टता शांति और युद्धकालीन कानूनों दोनों के दुरुपयोग की ओर ले जाती है।
- **स्पष्ट समुद्री मानदंडों का विकास करना:** आधुनिक संघर्षों (हाइब्रिड युद्ध, युद्धविराम के दौरान नाकाबंदी) को संबोधित करने के लिए सैन रेमो मैनुअल जैसे कानूनों को अद्यतन और संहिताबद्ध करना।
- **विवाद समाधान तंत्र को बढ़ाना:** एकतरफा प्रवर्तन के बजाय समुद्री विवादों को हल करने के लिए आईसीजे और मध्यस्थता न्यायाधिकरण जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का उपयोग करें।

रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए बंद दरवाजों वाली गैर-एसी ट्रेनें पेश कीं

संदर्भ

- भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने और हताहतों की संख्या कम करने के उद्देश्य से मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में परीक्षण के लिए स्वचालित दरवाजा बंद करने की सुविधाओं वाली एक गैर-एसी उपनगरीय ट्रेन पेश की है।
    - **इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट:** ईएमयू एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसमें एक लोकोमोटिव के बजाय कई कोच मोटरों द्वारा संचालित होते हैं।
- **विनिर्माण:** इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई द्वारा निर्मित, वर्तमान में परीक्षण के अधीन है।
- 2025 के मुंब्रा हादसे और गिरने से होने वाली 6,760 मौतों (2014-2025) ने भीड़भाड़ वाली खुले दरवाजों वाली गैर-एसी ट्रेनों के जोखिमों को उजागर किया, जबकि सुरक्षित एसी बंद दरवाजों वाली ट्रेनें सीमित और महंगी बनी हुई हैं।

गैर-एसी बंद दरवाजों वाली ईएमयू की विशेषताएं

- **सुरक्षा:** स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, एंटी-ड्रैग मैकेनिज्म, और इंटरलॉकिंग सिस्टम (जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे ट्रेन नहीं चलेगी)।
- **वेंटिलेशन:** CO_2 वृद्धि को संबोधित करने के लिए लूवरेड (Louvred) दरवाजे, छत पर लगे वेंटिलेशन यूनिट और बड़ी खिड़कियां।
- **सुविधा:** आवाजाही के लिए वेस्टिब्यूल्स, यात्री सूचना प्रणाली, आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट और वैकल्पिक निकास द्वार।

पैनल ने राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर वनों पर चरवाहा समुदायों की निर्भरता पर अध्ययन का आदेश दिया

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर वनों पर पशुपालक और खानाबदोश समुदायों की निर्भरता पर एक व्यापक अध्ययन करने का निर्देश दिया है।

मुद्दे के बारे में

- पशुपालक समुदाय पशुओं के मौसमी प्रवास के दौरान चराई के लिए संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वनों पर निर्भर रहते हैं।
- SC-NBWL ने WII को निम्नलिखित कार्य सौंपे हैं:
    - निर्भरता की सीमा और प्रकृति का आकलन करना।
    - कानूनी ढांचे और बाधाओं की जांच करना।
    - सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक आयामों का अध्ययन करना।
- **केंद्रित राज्य:** यह अध्ययन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर केंद्रित होगा।
- **वित्त पोषण तंत्र:** प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के माध्यम से वित्त पोषण का प्रस्ताव है।
- **शामिल प्रमुख समुदाय:**
    - गुज्जर, बक्करवाल, भोटिया, वन गुज्जर।
    - मालधारी, रबारी, रायका।
    - धनगर, गद्दी, चांगपा, कुरुबा, अन्य।

महत्व

- **आजीविका सुरक्षा:** पशुचारण पशुधन आधारित उत्पादों के माध्यम से लाखों लोगों का भरण-पोषण करता है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण विशाल रेंजलैंड का उपयोग करता है।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** विनियमित चराई घास के मैदान के स्वास्थ्य और जैव विविधता का समर्थन करती है, जो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैसे वैश्विक ढांचे के साथ संरेखित होती है।
- **नीति प्रासंगिकता:** यह संतुलित, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के माध्यम से पारंपरिक अधिकारों के साथ संरक्षण लक्ष्यों को समेटने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

चुनौतियां

- **कानूनी और संस्थागत बाधाएं:** अतिव्यापी और अस्पष्ट कानूनी ढांचे चरवाहों के चराई के अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे संरक्षण कानूनों और पारंपरिक आजीविका के बीच संघर्ष पैदा होता है।
- **मौसमी प्रवासन मुद्दे:** चरवाहों की अंतर-राज्यीय गतिशीलता नियामक विसंगतियों और कमजोर संस्थागत समन्वय की ओर ले जाती है।
- **चारागाहों का क्षरण:** चरागाहों की उपलब्धता में गिरावट और पशुधन के दबाव से पारिस्थितिक क्षरण तेज होता है और वहन क्षमता कम हो जाती है।
- **संरक्षण संबंधी चिंताएँ:** अनियमित चराई आवासों को परेशान कर सकती है और देशी वन्यजीव प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा को तेज कर सकती है।
- **वैश्विक आयाम:** विश्व स्तर पर रेंजलैंड का व्यापक क्षरण सतत प्रबंधन और नीतिगत हस्तक्षेप की तात्कालिकता पर प्रकाश डालता है।

आगे की राह

- **पहुंच को संस्थागत बनाना:** विनियमित चराई प्रणालियों की स्थापना से संरक्षण प्राथमिकताओं के साथ आजीविका की जरूरतों को संतुलित किया जा सकता है।
- **कानूनी स्पष्टता:** प्रथागत अधिकारों को मान्यता देने वाले सामंजस्यपूर्ण कानून संघर्षों को कम कर सकते हैं और स्थायी संसाधन उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **सतत चारागाह प्रबंधन:** रोटेशनल चराई जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां पशुपालक अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल कर सकती हैं।
- **सामुदायिक भागीदारी:** चरवाहों को शामिल करने से पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के माध्यम से संरक्षण के परिणाम सामने आते हैं।
- **साक्ष्य-आधारित नीति**: डेटा-संचालित नीति निर्माण जैव विविधता संरक्षण और आजीविका के संतुलित सह-अस्तित्व को सक्षम कर सकता है।

मुख्य परीक्षा

भारत को अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

संदर्भ

- अमेरिका द्वारा एकतरफा प्रतिबंधों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा की बढ़ती लागत, व्यापार में व्यवधान और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की एकतरफा कार्रवाई

- **ऊर्जा व्यापार पर प्रतिबंध:** अमेरिका ने ईरान, रूस और वेनेजुएला से तेल आयात करने वाले देशों को लक्षित करते हुए द्वितीयक प्रतिबंध लगाए।
- **जुर्माना शुल्क और आर्थिक जबरदस्ती:** अमेरिका ने भारत पर अपने भू-राजनीतिक उद्देश्यों के अनुपालन के लिए दबाव डालने के लिए अतिरिक्त टैरिफ और जुर्माना (उदाहरण के लिए रूसी तेल व्यापार से जुड़ा 25% जुर्माना) लगाया।
    - प्रभाव: भारत ने आंशिक अनुपालन दिखाते हुए रूसी तेल आयात (~2 मिलियन बीपीडी से ~1 मिलियन बीपीडी तक) को अस्थायी रूप से कम कर दिया।
- **रणनीतिक परियोजनाओं पर प्रतिबंध:** चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसी परियोजनाओं पर प्रतिबंधों की धमकियों ने भारत की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय पहुंच को बाधित किया है।
    - प्रभाव: प्रतिबंधों और नीतिगत अनिश्चितता के डर के कारण चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसी परियोजनाओं पर प्रगति धीमी हो गई।
- **वित्तीय और मुद्रा दबाव:** अमेरिका ने वैश्विक वित्तीय प्रभुत्व को मजबूत करते हुए, गैर-डॉलर भुगतान प्रणाली (जैसे ब्रिक्स व्यवस्था) को अपनाने वाले देशों पर प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।
- **रक्षा संबंधी प्रतिबंध (CAATSA):** CAATSA के तहत, अमेरिका ने रूस से रक्षा उपकरण खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी (उदाहरण के लिए भारत का S-400 सौदा)।
- **नीतिगत अनिश्चितता (छूट और उत्क्रमण):** छूट का बार-बार उपयोग और अचानक नीतिगत परिवर्तन वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और भारत जैसे देशों के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं।
    - प्रभाव: वेनेजुएला से आयात को फिर से शुरू करना तभी जब अस्थायी छूट दी गई हो।

अनुपालन की लागत बनाम गैर-अनुपालन के लाभ

आयाम	अनुपालन की लागत बनाम गैर-अनुपालन का लाभ
ऊर्जा सुरक्षा	अनुपालन ने भारत को सस्ते ईरानी/वेनेजुएला के तेल का आयात बंद करने के लिए मजबूर किया, जिससे अस्थिर बाजारों पर निर्भरता बढ़ गई, जबकि गैर-अनुपालन (जैसा कि रूसी तेल आयात 2022-25 में देखा गया है) ने रियायती कच्चे तेल तक पहुंच सुनिश्चित की, अरबों की बचत की और आपूर्ति को स्थिर किया।
आर्थिक प्रभाव	अनुपालन के कारण उच्च ऊर्जा बिल, मुद्रास्फीति, निर्यात में गिरावट (~ 7%) और मुद्रा दबाव हुआ, जबकि गैर-अनुपालन लागत को कम करेगा, राजकोषीय स्थिरता में सुधार करेगा और विकास की संभावनाओं की रक्षा करेगा।
रणनीतिक संपर्क	अनुपालन ने चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी जैसी परियोजनाओं को धीमा कर दिया, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे जोखिम भरे मार्गों पर निर्भरता बढ़ गई, जबकि गैर-अनुपालन वैकल्पिक गलियारों को सक्षम करेगा, जिससे भू-राजनीतिक भेद्यता कम हो जाएगी।
विदेश नीति स्वायत्तता	अनुपालन ने भारत के निर्णय लेने को बाधित किया और इसे अमेरिकी हितों के साथ जोड़ दिया, जबकि गैर-अनुपालन (उदाहरण के लिए सीएएटीएसए के बावजूद एस -400 सौदा) ने आवश्यक रूप से दंड को ट्रिगर किए बिना रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत किया।
वैश्विक स्थिति	अनुपालन अप्रत्यक्ष रूप से एकतरफावाद का समर्थन करता है और बहुपक्षीय व्यवस्था को कमजोर करता है,

	जबकि गैर-अनुपालन भारत को बलपूर्वक आर्थिक उपायों का विरोध करते हुए ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभरने की अनुमति देता है।
दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति	अनुपालन ने ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और रिजर्व-निर्माण को बाधित किया, जबकि गैर-अनुपालन सस्ते तेल और दीर्घकालिक ऊर्जा लचीलापन के भंडारण को सक्षम करेगा (जैसा कि प्रतिबंधों के बावजूद रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने के लिए चीन की रणनीति में देखा गया है)।

भारत के अनुभव से पता चलता है कि अनुपालन जहां अल्पकालिक राजनयिक संतुलन सुनिश्चित करता है, वहीं यह महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक लागत लगाता है, जबकि कैलिब्रेटेड गैर-अनुपालन ऊर्जा सुरक्षा, स्वायत्तता और वैश्विक नेतृत्व को बढ़ा सकता है।

पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा में बदलाव

संदर्भ

- 2025 में पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले ने आतंकवाद के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव ला दिया, जिससे सुरक्षा संबंधी धारणाओं में खामियां उजागर हुईं और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता पड़ी।

आतंकवादी रणनीति में बदलाव

- **शहरी लक्ष्यों से दूरस्थ लक्ष्यों की ओर बदलाव:** आतंकवादी शहरों से दूर दूरस्थ पर्यटन स्थलों और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों की ओर चले गए, जहां उन्होंने कम सुरक्षित "आसान लक्ष्यों" का फायदा उठाया।
- **नागरिकों और पर्यटन को निशाना बनाना:** सुरक्षा बलों के बजाय, आतंकवादी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने और "सामान्य स्थिति" की धारणा को नुकसान पहुंचाने के लिए नागरिकों (पर्यटकों) को तेजी से निशाना बना रहे हैं।
- **वन और पहाड़ी इलाकों का उपयोग:** आतंकवादी समूहों ने ठिकानों को घने जंगलों और ऊंची चोटियों (पीर पंजाल, चिनाब घाटी) में स्थानांतरित कर दिया ताकि पता लगाने से बचा जा सके और इलाके का लाभ उठाया जा सके।
- **हाइब्रिड और छोटे मॉड्यूल:** अवसरवादी रूप से घुसपैठ करने, छिपने और हमला करने वाली छोटी, मोबाइल और हाइब्रिड आतंकवादी इकाइयों को अपनाना, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **अंतर-क्षेत्रीय विस्तार:** कश्मीर घाटी से जम्मू क्षेत्र (डोडा, किश्तवार, राजौरी, पुंछ) तक गतिविधियों का विस्तार, परिचालन संबंधी जटिलता में वृद्धि।

बदलते खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बदलाव

- **सड़कों से लेकर पर्वतीय चोटियों तक:** सुरक्षा रणनीति सड़क-आधारित तैनाती से हटकर उच्च ऊंचाई वाली पर्वतीय चोटियों और जंगलों पर कब्जा करने की ओर स्थानांतरित हो गई, जिससे आतंकवादियों को भूभाग का लाभ नहीं मिल सका।
- **ऑपरेटिंग बेस का विस्तार:** निरंतर उपस्थिति बनाए रखने के लिए उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 40+ अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (टीओबी) की स्थापना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** खतरों की वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए ड्रोन, चेहरे की पहचान, निगरानी प्रणाली और हवाई निगरानी का बढ़ता उपयोग।
    - उदाहरण के लिए घूमने वाले युद्ध सामग्री, कामिकेज़ ड्रोन, नेटवर्क-केंद्रित संचार और वायु रक्षा प्रणालियों को अपनाना।
- **मानव फ़ायरवॉल (स्थानीय एकीकरण):** घुसपैठ की निगरानी और रोकथाम के लिए पर्यटन श्रमिकों (~ 50,000 लोगों) के लिए आधार-लिंक्ड डेटाबेस और क्यूआर पहचान का निर्माण।
- **इंटेलिजेंस-एलईडी ऑपरेशन:** सटीक, खुफिया-संचालित ऑपरेशन (जैसे ऑपरेशन महादेव पहलगाम हमलावरों को खत्म करना) की ओर बदलाव।
- **विशेष प्रशिक्षण:** जंगल युद्ध (ग्रेहाउंड, पैरा एसएफ के साथ) और वन-आधारित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लंबी दूरी की गश्त में प्रशिक्षित सुरक्षा बल।

अनुकूलन की सीमाएँ

- **भू-भाग की चुनौतियाँ:** घने जंगल और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ अभी भी घुसपैठ और चोरी के लिए प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं, जिससे निगरानी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
- **खुफिया अंतराल:** दूरदराज के क्षेत्रों में मानव बुद्धि कमजोर रहती है, जिससे छोटी, मोबाइल आतंकवादी इकाइयों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
- **मौसम और प्रौद्योगिकी की बाधाएं:** ड्रोन और सेंसर कठोर मौसम और इलाके की स्थिति से प्रभावित होते हैं, जिससे विश्वसनीयता कम हो जाती है।
- **घुसपैठ की निरंतरता:** निरंतर सीमा पार घुसपैठ बेहतर सुरक्षा उपायों के बावजूद लगातार खतरा सुनिश्चित करती है।
- **गोपनीयता और स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** व्यापक निगरानी प्रणालियाँ गोपनीयता के मुद्दों और दीर्घकालिक स्थिरता चुनौतियों को उठाती हैं।

आगे की राह

- **उन्नत निगरानी प्रणाली:** निरंतर ट्रैकिंग के लिए सभी मौसम में उपग्रह, एआई-आधारित निगरानी और एकीकृत सेंसर नेटवर्क तैनात करें।
- **एकीकृत सुरक्षा ग्रिड:** सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के बीच समन्वय बढ़ाना।
- **क्षमता निर्माण:** जंगल युद्ध, ड्रोन संचालन और आधुनिक युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षण जारी रखें।
- **घुसपैठ विरोधी उपाय:** आतंकवादी मॉड्यूल के प्रवेश को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन और एलओसी निगरानी को मजबूत करना।

पहलगाम हमला एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने सुरक्षा बलों को प्रौद्योगिकी-संचालित, खुफिया-आधारित और इलाका-केंद्रित रणनीति की ओर धकेल दिया, लेकिन उभरती आतंकवादी रणनीति का मुकाबला करने के लिए निरंतर अनुकूलन और नवाचार आवश्यक है।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

संदर्भ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) ने अपने लक्ष्यों को काफी हद तक पार कर लिया है और 2026 तक 2.5 लाख नौकरियों के लक्ष्य के मुकाबले 3.39 लाख नौकरियां सृजित की हैं।

फैक्टशीट

- **आर्थिक योगदान:** इस क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (GVA) 2014-15 में ₹1.34 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹2.24 लाख करोड़ हो गया।
- **निर्यात वृद्धि:** पिछले दशक में कुल कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13.7% से बढ़कर 20.4% हो गई।
- **क्षमता विस्तार:** फरवरी 2026 तक प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता में प्रति वर्ष 34 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
- **निवेश जुटाना:** पीएलआई योजना के लाभार्थियों ने ₹9,207 करोड़ के निजी निवेश की सूचना दी है।
- **वैश्विक उपस्थिति:** अप्रैल 2021 से सितंबर 2025 के बीच पीएलआईएसएफपीआई लाभार्थियों की संचयी निर्यात बिक्री ₹89,053.44 करोड़ तक पहुंच गई।

भारतीय एफपीआई में अवसर

- **कच्चे माल की प्रचुरता:** भारत फलों और सब्जियों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो प्रसंस्करण केंद्रों के लिए एक विशाल संसाधन आधार प्रदान करता है।
- **बढ़ता उपभोक्ता आधार:** तेजी से शहरीकरण और बदलती जीवनशैली ने रेडी-टू-ईट (आरटीई) और रेडी-टू-कुक (आरटीसी) सेगमेंट की मांग को बढ़ा दिया है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य रुझान:** बाजरा और जैविक उत्पादों में बढ़ती वैश्विक रुचि भारत को पारंपरिक और अभिनव सुपरफूड के निर्यात के लिए एक विशिष्ट बाजार प्रदान करती है।

- **आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण:** भारतीय एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने का एक बड़ा अवसर है, विशेष रूप से समुद्री उत्पादों और मोज़ेरेला चीज़ जैसे क्षेत्रों में।
- **तकनीकी अपनाना:** उन्नत खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकियों (जैसे IQF या रिटॉर्ट पैकेजिंग) में परिवर्तन भारत के उच्च कटाई के बाद के नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है।

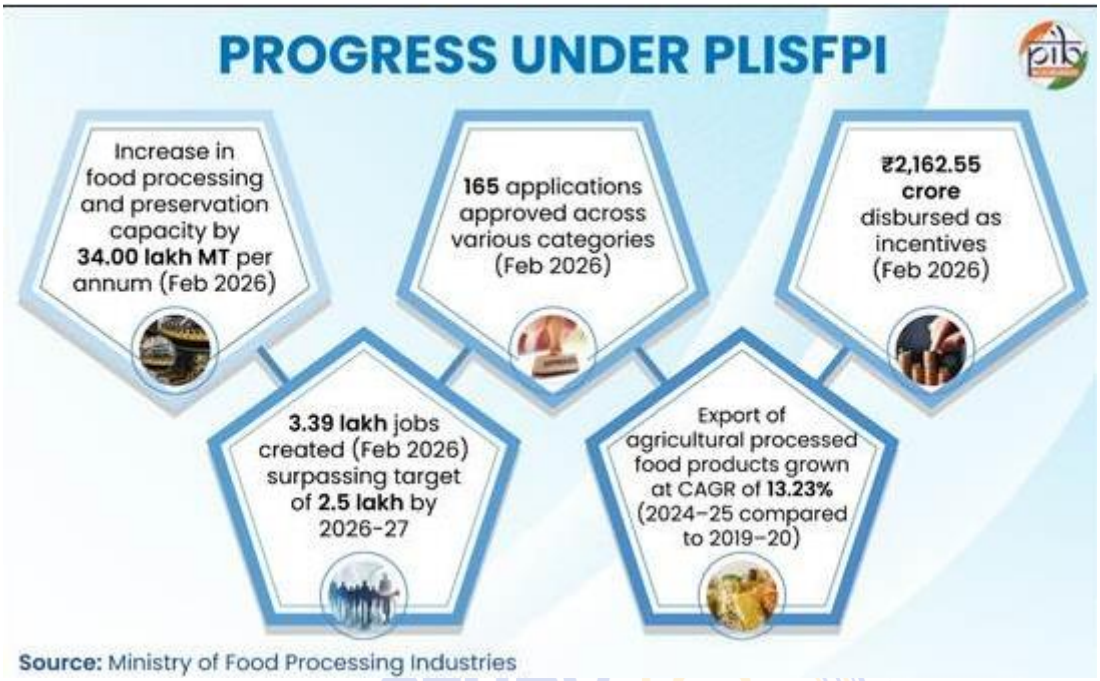

उठाए गए कदम:

- **PLISFPI** (2021-2027): भारतीय खाद्य उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹10,900 करोड़ की योजना।
- **PLISMBP**: बाजरा आधारित उत्पादों और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ₹800 करोड़ का एक समर्पित उप-घटक।
- एमएसएमई एकीकरण: समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई ढांचे के तहत 69 एमएसएमई और 40 संविदा विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई।
- ब्रांडिंग सहायता: भारतीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद करने के लिए सरकार विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन खर्चों का 50% प्रतिपूर्ति करती है।

चुनौतियां

- **बुनियादी ढांचे में अंतर:** अपर्याप्त कोल्ड चेन सुविधाओं और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप अभी भी महत्वपूर्ण खराब होने वाली बर्बादी होती है।
- **मानकीकरण के मुद्दे:** कड़े अंतरराष्ट्रीय फाइटोसैनिटरी और गुणवत्ता मानकों को पूरा करना कई छोटे पैमाने के प्रोसेसरों के लिए एक बाधा बनी हुई है।
- **खंडित आपूर्ति श्रृंखला:** फार्म गेट और प्रोसेसर के बीच कई बिचौलियों की उपस्थिति अक्सर लागत बढ़ाती है और दक्षता कम करती है।
- **सीमित एमएसएमई क्रेडिट:** सरकारी समर्थन के बावजूद, कई छोटी इकाइयाँ उन्नत प्रौद्योगिकी में अपग्रेड करने के लिए उच्च पूंजीगत लागत के साथ संघर्ष करती हैं।

- **निम्न प्रसंस्करण स्तर:** वर्तमान में, भारत विकसित देशों की तुलना में अपने कुल उत्पादन का केवल एक छोटा सा अंश संसाधित करता है, जो कम उपयोग की गई क्षमता का संकेत देता है।

आगे की राह

- **सहायक उपकरणों को प्रोत्साहित करना:** विशेष रसायनों, गैसों और पैकेजिंग सामग्री जैसे सहायक उद्योगों का समर्थन करने के लिए PLI 2.0 की ओर बढ़ना।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार:** उच्च मूल्य वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बाजारों पर कब्जा करने के लिए श्रेणी II उत्पादों (जैविक/अभिनव) पर ध्यान केंद्रित करना।
- **लॉजिस्टिक्स का डिजिटलीकरण:** समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए वेब-आधारित एमआईएस के माध्यम से खाद्य परियोजना की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी को लागू करना।
- **आक्रामक वैश्विक ब्रांडिंग:** भारतीय भोजन को एक प्रीमियम, सुरक्षित और टिकाऊ वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए श्रेणी III प्रोत्साहनों का उपयोग करना।
- **कौशल विकास:** उन्नत उत्पादन लाइनों को संचालित करने के लिए ग्रामीण कार्यबल को प्रशिक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि सृजित 3.39 लाख नौकरियां उच्च कौशल और टिकाऊ हैं।

समकालीन भारत में क्षत्रियकरण

संदर्भ

महाराज सुहेलदेव, अहिल्याबाई होलकर, रानी वेलू नाचियार, रानी दुर्गावती आदि जैसे योद्धा नायकों के बढ़ते सम्मान को क्षेत्रीय और युद्ध संबंधी इतिहासों पर जोर देने के लिए सार्वजनिक चर्चा में प्रमुखता दी जा रही है।

मुद्दा क्या है?

- **पहचान निर्माण**: विविध जाति समूहों को एक एकीकृत क्षत्रिय (योद्धा) परंपरा के हिस्से के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो पिछली भूमिकाओं को वर्तमान पहचान से जोड़ते हैं।
- ये उत्सव इतिहास को विदेशी शासकों के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में पुनर्व्याख्या करते हैं, सांस्कृतिक-राष्ट्रीय आख्यानों को मजबूत करते हैं।
- **औपनिवेशिक युग की लामबंदी:** अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जैसे संगठनों ने क्षत्रिय दर्जे के दावों को संस्थागत रूप दिया।
- **जाति अभिकथन आंदोलन:** मराठा, जाट, यादव, नायर, थेवर आदि जैसे समूहों ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए मार्शल और ज़मींदारों की पहचान पर जोर दिया

वैचारिक ढांचा

- **संस्कृतीकरण:** एम. एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तावित, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां निचली जातियां पदानुक्रम के भीतर सामाजिक गतिशीलता और बेहतर स्थिति हासिल करने के लिए उच्च जातियों के रीति-रिवाजों, रीति-रिवाजों और जीवन शैली की नकल करती हैं।
- **क्षत्रियकरण:** हरमन कुलके द्वारा समझाया गया, यह एक शीर्ष-से-नीचे की प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें शासक अभिजात वर्ग या प्रभावशाली समूह अपने राजनीतिक अधिकार को वैध बनाने और सामाजिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक योद्धा (क्षत्रिय) पहचान को बढ़ावा देते हैं।
- **अनुकरण सिद्धांत**: बी. आर. अम्बेडकर ने तर्क दिया कि जाति की पहचान "नकल के संक्रमण" के माध्यम से विकसित होती है, जहां समुदाय अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए प्रमुख समूहों का अनुकरण करते हैं।
- **शक्ति-केंद्रित जाति:** आंद्रे बेटिले ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक भारत में, जाति पदानुक्रम विशुद्ध रूप से अनुष्ठान या धार्मिक कारकों के बजाय राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रभाव द्वारा तेजी से आकार ले रहे हैं।

महत्व

- **सामाजिक गतिशीलता:** क्षत्रिय पहचान का दावा समुदायों को प्रतीकात्मक रूप से अपनी स्थिति को ऊपर उठाने, गरिमा हासिल करने और जाति पदानुक्रम में उनकी ऐतिहासिक रूप से निम्न स्थिति को चुनौती देने में सक्षम बनाता है।
- **राजनीतिक लामबंदी:** जैसा कि क्रिस्टोफ़ जाफरलॉट ने उजागर किया है, इस तरह की पहचान निर्माण समुदायों को एकजुट राजनीतिक समूहों में समेकित करने में मदद करता है, जिससे वोट-बैंक की राजनीति को मजबूत किया जा सकता है।
- **सांस्कृतिक एकीकरण**: क्षेत्रीय योद्धा इतिहास को एक व्यापक राष्ट्रीय कथा में शामिल करने से विविध समुदायों में साझा विरासत और सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियां

- **पदानुक्रम को मजबूत करता है:** जातिगत असमानताओं को खत्म करने के बजाय, ऐसी प्रक्रियाएं नए प्रतीकात्मक रूपों में पदानुक्रमित भेदों को फिर से पैकेज और बनाए रख सकती हैं।
- **चयनात्मक इतिहास:** मार्शल उपलब्धियों पर जोर देने से इतिहास की आंशिक या विकृत व्याख्याएं हो सकती हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जटिलताओं की अनदेखी की जा सकती है।
- **अंतर-जातीय तनाव:** क्षत्रिय स्थिति के लिए विभिन्न समूहों द्वारा प्रतिस्पर्धी दावे प्रतिद्वंद्विता और सामाजिक संघर्षों को तेज कर सकते हैं।
- **राजनीतिक दुरुपयोग:** ऐतिहासिक आंकड़ों और पहचानों का उपयोग वास्तविक ऐतिहासिक समझ को बढ़ावा देने के बजाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए रणनीतिक रूप से किया जा सकता है।

समकालीन प्रासंगिकता

- **रणनीतिक पहचान की राजनीति:** मराठा, जाट और यादव जैसे समुदायों के बीच योद्धा पहचान को बढ़ावा देना राजनीतिक समर्थन के लिए इन समूहों को जुटाने के जानबूझकर किए गए प्रयासों को दर्शाता है।
- **राष्ट्रवाद से जुड़ाव:** ये आख्यान जाति गौरव को व्यापक सांस्कृतिक-राष्ट्रीय विचारधाराओं से जोड़ते हैं, जो एक एकीकृत लेकिन पदानुक्रमित पहचान ढांचे को मजबूत करते हैं।
- **गतिशील जाति व्यवस्था:** जाति की पहचान की विकसित पुनर्व्याख्या दर्शाती है कि जाति तरल बनी हुई है और बदलते राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों के अनुकूल बनी हुई है।

आगे की राह

- **संतुलित इतिहासलेखन:** विकृतियों से बचने के लिए तथ्य-आधारित, समावेशी इतिहास लेखन को बढ़ावा देना।
- **समतावादी दृष्टिकोण:** पदानुक्रमित स्थिति से समानता के संवैधानिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **राजनीतिकरण को सीमित करना**: सुनिश्चित करना कि ऐतिहासिक आंकड़ों का राजनीतिक एजेंडे के लिए अत्यधिक उपयोग न किया जाए।
- **समावेशी विकास:** केवल प्रतीकात्मक पहचान के दावे पर भरोसा करने के बजाय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को संबोधित करना।

निष्कर्ष

क्षत्रियकरण से गौरव और लामबंदी को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इससे जातिगत ऊँच-नीच को सुदृढ़ करने और इतिहास का राजनीतिकरण करने का भी खतरा है। पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

संदर्भ

कार्यकर्ताओं, पूर्व नौकरशाहों और शिक्षाविदों सहित 700 से अधिक नागरिक समाज सदस्यों ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण पर अपने राष्ट्रीय संबोधन (18 अप्रैल, 2026) के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन किया है।

मुद्दा क्या है?

- **MCC का कथित उल्लंघन:** MCC के लागू होने के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को "चुनाव प्रचार" के रूप में वर्णित किया गया है।
- **सरकारी तंत्र का दुरुपयोग:** आरोप है कि सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए सरकारी मंचों और जनसंचार माध्यमों का दुरुपयोग किया गया।
- **जांच की मांग:** याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित मांग की है:
    - भाषण की विषयवस्तु और समय की जांच
    - आधिकारिक मंचों से भाषण को हटाना (यदि उल्लंघन सिद्ध हो जाता है)
- **वैकल्पिक मांग:** यदि पूर्व चुनाव आयोग की मंजूरी ली गई थी, तो निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को समान एयरटाइम प्रदान किया जाना चाहिए।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में

- **परिभाषा**: चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक सेट।
- **प्रकृति**: कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के संवैधानिक जनादेश से अधिकार प्राप्त करता है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
    - प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं
    - कोई घोषणा नहीं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है
    - पार्टियों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करना

महत्व

- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है:** आदर्श आचार संहिता सत्तारूढ़ दलों को राज्य के संसाधनों का दोहन करने, चुनावी अखंडता बनाए रखने से रोकती है।
- **समान अवसर**: अनुचित लाभों को प्रतिबंधित करता है, सभी राजनीतिक अभिनेताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- **लोकतंत्र में जनता का विश्वास:** चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थानों की विश्वसनीयता को बनाए रखता है।
- **कार्यपालिका की जवाबदेही:** चुनाव के दौरान सत्ता में बैठे लोगों पर अंकुश लगाता है।

चुनौतियां

- **गैर-सांविधिक प्रकृति**: MCC में कानूनी समर्थन का अभाव है, जो प्रवर्तनीयता और दंडात्मक कार्रवाई को सीमित करता है।
- **व्याख्या में अस्पष्टता**: यह निर्धारित करना कि "चुनाव" या "आधिकारिक कर्तव्य" क्या है, व्यक्तिपरक हो सकता है।
- **विलंबित प्रवर्तन:** जांच और कार्रवाई समय पर नहीं हो सकती है, जिससे निरोध कम हो सकता है।
- **तकनीकी/मीडिया विस्तार:** डिजिटल और मास मीडिया का उपयोग उल्लंघनों की निगरानी को जटिल बनाता है।
- **पूर्वाग्रह की धारणा:** चुनाव आयोग की तटस्थता के खिलाफ आरोप संस्थागत विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

- **कानूनी समर्थन को मजबूत करना:** मजबूत प्रवर्तन के लिए MCC प्रावधानों को वैधानिक दर्जा देने पर विचार करना।
- **स्पष्ट दिशानिर्देश:** शासन संचार और राजनीतिक प्रचार के बीच सीमाओं को परिभाषित करना।
- **समान मीडिया पहुंच:** चुनाव अवधि के दौरान न्यायसंगत एयरटाइम के लिए तंत्र को संस्थागत बनाना।
- **समय पर कार्रवाई:** चुनाव आयोग द्वारा त्वरित जांच और पारदर्शी निर्णय लेना सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उल्लंघनों के लिए डिजिटल और प्रसारण मीडिया की निगरानी बढ़ाना।

भारत में विशेषाधिकार सूचना और संसदीय विशेषाधिकार

संदर्भ

खबरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दायर किया गया है, जिसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की हार के बाद की गई टिप्पणियों के आधार पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

विशेषाधिकार नोटिस के बारे में

- **परिभाषा**: विशेषाधिकार नोटिस (या प्रस्ताव) एक औपचारिक तंत्र है जिसका उपयोग एक सांसद द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों या सदन की गरिमा के उल्लंघन के बारे में शिकायत करने के लिए किया जाता है।
- **उद्देश्य**: यह सदन को गुमराह करने, तथ्यों को छिपाने या अपमानजनक टिप्पणी करने जैसे कार्यों के लिए सदस्यों या बाहरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है।

प्रक्रिया और नियम

- **शासी नियम:**
  - **लोकसभा:** नियम 222
  - **राज्यसभा**: नियम 187
- **प्रारंभिक जांच:**
  - लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति नोटिस की जांच करते हैं और यह तय करते हैं कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं।
- **सदन से अनुमति:**
  - एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, सदस्य को सदन की अनुमति लेनी होगी; यदि कोई आपत्ति नहीं है या यदि कम से कम 25 सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- **समय**:
  - आमतौर पर प्रश्नकाल के बाद उठाया जाता है, हालांकि जरूरी मामलों को तुरंत उठाया जा सकता है।
- **सदन निम्न में से कोई एक कार्य कर सकता है:**
  - मामले पर सीधे चर्चा करना, या
  - विस्तृत जांच के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप देना।
- अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के पास है।

विशेषाधिकारों की समिति

- **प्रकृति:** अर्ध-न्यायिक कार्यों के साथ एक स्थायी समिति।
- **संरचना:**
  - **लोकसभा:** अध्यक्ष द्वारा नामित 15 सदस्य
  - **राज्यसभा:** सभापति द्वारा मनोनीत 10 सदस्य
- **कार्य:**
  - कथित उल्लंघनों की जांच करना
  - तथ्यों को निर्धारित करना और कार्रवाई की सिफारिश करना
- **प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत:**
  - आरोपी को अपना बचाव पेश करने का मौका दिया जाता है।

संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं?

- **परिभाषा**: स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करने के लिए संसद, उसके सदस्यों और समितियों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार और उन्मुक्ति।

- **कवरेज**: भारत के अटॉर्नी जनरल तक फैला हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं (जिनके पास अनुच्छेद 361 के तहत अलग सुरक्षा है)
- **उद्देश्य**: संसद को बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाना।

विशेषाधिकारों के प्रकार

- **सामूहिक विशेषाधिकार:**
  - सदन की शक्तियां (उदाहरण के लिए, कार्यवाही को विनियमित करना, अवमानना के लिए दंडित करना, बाहरी लोगों को छोड़कर)।
- **व्यक्तिगत विशेषाधिकार:**
  - सांसदों के अधिकार (जैसे: संसद में भाषण की स्वतंत्रता, दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्तता)।

संसदीय विशेषाधिकारों के स्रोत

- **संवैधानिक आधार:**
  - अनुच्छेद 105 और 122 (संसद)
  - अनुच्छेद 194 और 212 (राज्य विधानमंडल)
- **कानूनी आधार:**
  - अनुच्छेद 105 (3) संसद को कानून द्वारा विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की अनुमति देता है, हालांकि अभी तक कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है।
- **वैधानिक प्रावधान:**
  - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 संसदीय सत्रों के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सीमित छूट प्रदान करती है।

संसदीय विशेषाधिकारों पर न्यायिक स्थिति

- **केशव सिंह मामला:**
  - माना गया कि विधायी विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों के अधीन हैं
  - संघर्षों को सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से हल किया जाना चाहिए
- **सर्चलाइट केस (शर्मा मामला):**
  - अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वचालित रूप से संसदीय विशेषाधिकारों को ओवरराइड नहीं करती है
  - हालाँकि, अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) लागू रहता है